"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 571] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2014—कार्तिक 16, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–83/2014/18 (1) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पालिका जांजगीर–नैला, जिला– जांजगीर–चांपा के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	2	दर्रीपारा भाठापारा नैला वार्ड
		10	संत रविदास वार्ड
		20	वाल्मिकी वार्ड
		23	अमरैया पारा वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	24	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
		25	शांति नगर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	19	सिविल लाईन वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	—	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	5	महाराजा अग्रसेन वार्ड
		6	सदर बाजार वार्ड
		12	शहीद अमरसिंह वार्ड
		14	बाजार पारा वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	18	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
		21	केरा रोड वार्ड
7.	महिला वर्ग	1	श्याम कार्तिक भाठापारा नैला वार्ड
		7	बी.डी.महंत वार्ड
		11	शिवाजी वार्ड
		22	पं. दीनदयाल वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र क्रमांक एफ 1—83/2014/18 (1) .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1—83/2014/18 (1) दिनांक 07—11—2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F 1-83/2014/18 (1) . the list of the Reservation of Wards for **Municipal Council Janjgeer-Naila, Distt. Janjgeer-Champa** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	2	Darripara Bhatapara Naila Ward
		10	Sant Ravidas Ward
		20	Valmiki Ward
		23	Amraiya Para Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	24	Dr. Ambedkar Ward
		25	Shanti Nagar Ward
3.	Scheduled Tribes	19	Civil Line Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	5	Maharaja Agrasen Ward
		6	Sadar Bazar Ward
		12	Shahid Amarsingh Ward
		14	Bazar Para Ward
6.	Other Backward Class (Female)	18	Dr. Rajendra Prasad Ward
		21	Kera Road Ward
7.	Female	1	Shyam Kartik Bhatapara Naila Ward
		7	B.D.Mahant Ward
		11	Shivaji Ward
		22	Pt. Dindayal Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–83/2014/18 (2)छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार **नगर पालिका चांपा, जिला– जांजगीर–चांपा** के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	13	घोघरानाला वार्ड
		26	वीरनारायण सिंह वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	16	मिनीमाता वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	27	गुरू घासीदास वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	5	महादेव वार्ड
		9	नोहरलाल देवांगन वार्ड
		11	लक्ष्मीदेवी वार्ड
		14	प्रेमनगर वार्ड
		23	रेल्वे स्टेशन वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	22	तिलक नगर वार्ड
		24	बरपाली वार्ड
7.	महिला वर्ग	1	हनुमान धारा वार्ड
		2	मां वम्लेश्वरी वार्ड
		4	जगन्नाथ मठ वार्ड
		6	सोनार पारा वार्ड
		21	गुरूनानक वार्ड
		25	डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–83/2014/18 (2) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–83/2014/18 (2) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No... F 1–83/2014/18 (2) the list of the Reservation of Wards for **Municipal Council Champa, Distt. Janjgeer-Champa** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	13	Ghoghranala Ward
		26	Veernarayan Singh Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	16	Minimata Ward
3.	Scheduled Tribes	27	Guru Ghasidas Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	5	Mahadev Ward
		9	Noharlal Dewangan Ward
		11	Laxmidevi Ward
		14	Premnagar Ward
		23	Railway Station Ward
6.	Other Backward Class (Female)	22	Tilak Nagar Ward
		24	Barpali Ward
7.	Female	1	Hanuman Dhara Ward
		2	Maa Bamleshwari Ward
		4	Jagnnath Math Ward
		6	Sonar Para Ward
		21	Gurunanak Ward
		25	Dr. Shyamaprasad Mukherjee Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–83/2014/18 (3)छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पालिका अकलतरा, जिला– जांजगीर–चांपा के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	13	गुरू घासीदास वार्ड
		15	अम्बेडकर वार्ड
		20	सी.सी.आई. वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	16	इंदिरा वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	3	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	नेहरू वार्ड
		6	राजेन्द्र कुमार सिंह वार्ड
		8	ठा. छेदीलाल बैरिस्टर वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	2	नवीन वार्ड उत्तर
		18	राजीव गांधी वार्ड
7.	महिला वर्ग	5	शहीद अश्फाक उल्ला वार्ड
		10	महात्मा गांधी वार्ड
		14	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
		19	नवीन वार्ड दक्षिण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र क्रमांक एफ 1–83/2014/18 (3) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–83/2014/18 (3) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F 1-86/2014/18 (3) the list of the Reservation of Wards for **Municipal Council Akaltara , Distt. Janjgeer-Champa** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	13	Guru Ghasidas Ward
		15	Ambedkar Ward
		20	C.C.I. Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	16	Indira Ward
3.	Scheduled Tribes	3	Pt. Dindayal Upadhyay Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	1	Nehru Ward
		6	Rajendra Kumar Singh Ward
		8	Thakur Chhedilal Bairister Ward
6.	Other Backward Class (Female)	2	Naveen Ward Uttar
		18	Rajeev Gandhi Ward
7.	Female	5	Shahid Ashfaq Ulla Khan
		10	Mahatma Gandhi Ward
		14	ChandraShekhar Azad Ward
		19	Naveen Ward Dakshin

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–83/2014/18 (4)छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पालिका सक्ती, जिला– जांजगीर–चांपा के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	1	हरिजन पारा वार्ड
		18	स्टेशन पारा वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	17	भीमराव अंबेडकर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	3	राजापारा वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	11	नारायण सागर वार्ड
		12	महामाया वार्ड
		14	कचहरी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	4	बाजार पारा वार्ड
		7	हटरी वार्ड
7.	महिला वर्ग	2	कसेर पारा वार्ड
		5	अस्पताल वार्ड
		8	हरिगुजर वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–83/2014/18 (4) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–83/2014/18 (4) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F 1-83/2014/18 (4) the list of the Reservation of Wards for **Municipal Council Sakti, Distt. Janjgeer-Champa** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	1	Harijan Para Ward
		18	Station Para Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	17	Bhimrao Ambedkar Ward
3.	Scheduled Tribes	3	Rajapara Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	11	Narayan Sagar Ward
		12	Mahamaya Ward
		14	Kuchheri Ward
6.	Other Backward Class (Female)	4	Bazar Para Ward
		7	Hatari Ward
7.	Female	2	Kaser Para Ward
		5	Aspatal Ward
		8	Harigujar Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–83/2014/18 (5). छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार **नगर पंचायत खरौद**, जिला– जांजगीर–चांपा के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	1	महावीर वार्ड
		3	कंकालीन वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	15	शीतला मां वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	7	श्रीमती इंदिरा गांधी वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड
		5	लक्ष्मणेश्वर वार्ड
		14	इंदलदेव वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	10	संतोषी मां वार्ड
7.	महिला वर्ग	4	जय महामाया वार्ड
		8	शबरी वार्ड
		11	राजीव गांधी वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–83/2014/18 (5) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (5) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–83/2014/18 (4) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F 1–83/2014/18 (5) the list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Kharoad, Distt. Janjgeer-Champa** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961). as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	1	Mahaveer Ward
		3	Kankalin Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	15	Sheetla Maa Ward
3.	Scheduled Tribes	7	Smt. Indira Gandhi Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	2	Netaji Subhash Chandra Bose Ward
		5	Laxmaneshwar Ward
		14	Indaldev Ward
6.	Other Backward Class (Female)	10	Santoshi Maa Ward
7.	Female	4	Jai Mahamaya Ward
		8	Shabri Ward
		11	Rajiv Gandhi Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–83/2014/18 (6) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार **नगर पंचायत शिवरीनारायण**, जिला– जांजगीर–चांपा के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	10	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	–	निरंक
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	5	भगवान शिवरीनारायण वार्ड
		11	विद्यानगर वार्ड
		13	ठाकुर देव वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	12	भगत सिंह वार्ड
7.	महिला वर्ग	1	जनकपुर वार्ड
		6	महात्मा गांधी वार्ड
		8	पं. नेहरू वार्ड
		9	सुभाष चंद्र बोस वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–83/2014/18 (6) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (5) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–83/2014/18 (6) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F 1–83/2014/18 (6) the list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Shivrinarayan, Distt. Janjgeer-Champa** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	10	Dr. Ambedkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	-	Nil
3.	Scheduled Tribes	-	Nil
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	5	Bhagwan Shivrinarayan Ward
		11	Vidhyanagar Ward
		13	Thakur Dev Ward
6.	Other Backward Class (Female)	12	Bhagat Singh Ward
7.	Female	1	Janakpur Ward
		6	Mahatma Gandhi Ward
		8	Pt. Nehru Ward
		9	Subhash Chandra Bose Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–83/2014/18 (7) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत बलौदा, जिला– जांजगीर–चांपा के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	2	गुरू घासीदास वार्ड
		10	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
		13	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	1	द्रोणाचार्य वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	12	रानी दुर्गावती वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	4	अब्दुल कलाम वार्ड
		5	तात्या टोपे वार्ड
		9	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	15	लोकमान्य तिलक वार्ड
7.	महिला वर्ग	6	महाराणा प्रताप वार्ड
		8	महात्मा गांधी वार्ड
		14	भगत सिंह वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–83/2014/18 (7) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (5) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–83/2014/18 (7) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F 1-83/2014/18 (7) the list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Balouda , Distt. Janjgeer-Champa** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	2	Guru Ghasidas Ward
		10	Maharani Laxmibai Ward
		13	Sardar Vallabh Bhai Patel Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	1	Dronacharya Ward
3.	Scheduled Tribes	12	Rani Durgawati Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	4	Abdul Kalam Ward
		5	Tatya Tope Ward
		9	Dr. Bhimrao Ambedkar Ward
6.	Other Backward Class (Female)	15	Lokmanya Tilak Ward
7.	Female	6	Maharana Pratap Ward
		8	Mahatma Gandhi Ward
		14	Bhagat Singh Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–83/2014/18 (8)छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत अड़भार, जिला– जांजगीर–चांपा के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	5	संत कबीर वार्ड
		7	सुभाष चंद्र बोस वार्ड
		9	मां अष्टभुजी वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	8	ठाकुर देव वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	1	दुर्गताल वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	4	देवगुन गुरू वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	6	दाउसाहेब वार्ड
		11	वीरनारायण वार्ड
		13	अम्बेडकर वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	14	भगत सिंह वार्ड
7.	महिला वर्ग	3	बलराम नगर वार्ड
		15	जवाहर लाल नेहरू वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र क्रमांक एफ 1–83/2014/18 (8) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (5) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–83/2014/18 (8) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No... F 1-83/2014/18 (8) the list of the Reservation of Wards for, **Nagar Panchayat Adbhar, Distt. Janjgeer-Champa** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	5	Sant Kabir Ward
		7	Subhash Chandra Bose Ward
		9	Maa Ashtabhuji Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	8	Thakur Dev Ward
3.	Scheduled Tribes	1	Durgtal Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	4	Devgun Guru Ward
5.	Other Backward Class	6	Dausaheb Ward
		11	Veernarayan Ward
		13	Ambedkar Ward
6.	Other Backward Class (Female)	14	Bhagat Singh Ward
7.	Female	3	Balram Nagar Ward
		15	Jawahar Lal Nehru Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–83/2014/18 (9) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत नयाबाराद्वार, जिला– जांजगीर–चांपा के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	11	इंदिरा गांधी वार्ड
		12	गुरू घासीदास वार्ड
		13	डॉ. भीमराव अंबेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	1	महात्मा गांधी वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	15	ठाकुर देव मंदिर वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	रानी लक्ष्मी बाई वार्ड
		6	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
		9	सरदार भगत सिंह वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	14	राजा हरिगुजर वार्ड
7.	महिला वर्ग	3	श्री राम मंदिर वार्ड
		5	दुर्गा मंदिर वार्ड
		8	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–83/2014/18 (9) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (5) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–83/2014/18 (9) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F 1-83/2014/18 (9) the list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Nayabaradwar, Distt. Janjgeer-Champa** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	11	Indira Gandhi Ward
		12	Guru Ghasidas Ward
		13	Dr. Bhimrao Ambedkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	1	Mahatma Gandhi Ward
3.	Scheduled Tribes	15	Thakur Dev Mandir Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	2	Rani Laxmi Bai Ward
		6	Pt. Jawahar Lal Nehru Ward
		9	Sardar Bhagat Singh Ward
6.	Other Backward Class (Female)	14	Raja Harigujar Ward
7.	Female	3	Shri Ram Mandir Ward
		5	Durga Mandir Ward
		8	Dr. Rajendra Prasad Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–83/2014/18 (10)छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार **नगर पंचायत राहौद, जिला– जांजगीर–चांपा** के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	4	गुरू घासीदास वार्ड
		5	बाजार पारा वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	3	डॉ. अम्बेडकर नगर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	1	सतबहनिया दाई वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	सड़कपारा वार्ड
		10	बड़पारा वार्ड
		14	खईयापारा वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	8	शीतला माता वार्ड
7.	महिला वर्ग	7	सुभाष नगर वार्ड
		12	ठाकुरदेव वार्ड
		15	सिद्धबाबा वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–83/2014/18 (10) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (5) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–83/2014/18 (10) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F 1–83/2014/18 (10) the list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Rahoud, Distt. Janjgeer-Champa** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	4	Guru Ghasidas Ward
		5	Bazar Para Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	3	Dr. Ambedkar Nagar Ward
3.	Scheduled Tribes	1	Satbahaniya Dai Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	2	Sadakpara Ward
		10	Badpara Ward
		14	Khaiyapara Ward
6.	Other Backward Class (Female)	8	Sheetla Mata Ward
7.	Female	7	Subhash Nagar Ward
		12	Thakurdev Ward
		15	Sidhababa Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–83/2014/18 (11) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत नवागढ़, जिला– जांजगीर–चांपा के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	4	गुरू घासीदास वार्ड
		15	इंदिरा गांधी वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	3	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	–	निरंक
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	रामजानकी वार्ड
		9	शहीद भगतसिंह वार्ड
		11	महर्षि कश्यप वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	1	लिंगेश्वर वार्ड
7.	महिला वर्ग	10	भाठापारा वार्ड
		12	महात्मा गांधी वार्ड
		14	मिनीमाता वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–83/2014/18 (11).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (5) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–83/2014/18 (11) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F 1-83/2014/18 (11) the list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Nawagarh, Distt. Janjgeer-Champa** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	**Reservation for Category**	**Ward No.**	**Name of the Wards**
1.	Scheduled Caste	4	Guru Ghasidas Ward
		15	Indira Gandhi Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	3	Dr. Ambedkar Ward
3.	Scheduled Tribes	-	Nil
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	2	Ramjanki Ward
		9	Shaheed Bhagatsingh Ward
		11	Maharshi Kashyup Ward
6.	Other Backward Class (Female)	1	Lingeshwar Ward
7.	Female	10	Bhatapara Ward
		12	Mahatma Gandhi Ward
		14	Minimata Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–83/2014/18 (12) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत सारागांव, जिला– जांजगीर–चांपा के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	8	पं. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड
		10	अम्बेडकर वार्ड
		15	दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	9	भगत सिंह वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	2	गायत्री मंदिर वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	3	महात्मा गांधी वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	4	सुभाष चंद्र बोस वार्ड
		6	राजीव गांधी वार्ड
		14	छोटे गौटिया वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	11	वी.डी.महंत वार्ड
7.	महिला वर्ग	5	मनका दाई वार्ड
		7	ठाकुर देव वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र क्रमांक एफ 1–83/2014/18 (12) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (5) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–83/2014/18 (12) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F 1-83/2014/18 (12) the list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Saragaon, Distt. Janjgeer-Champa** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules. 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	8	Pt. Shyamaprasad Mukharjee ward
		10	Ambedkar Ward
		15	Dindayal Upadhayay Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	9	Bhagat Singh Ward
3.	Scheduled Tribes	2	Gayatri Mandir Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	3	Mahatma Gandhi Ward
5.	Other Backward Class	4	Subhash Chandra Bose Ward
		6	Rajeev Gandhi Ward
		14	Chhote Goutiya Ward
6.	Other Backward Class (Female)	11	B.D. Mahant Ward
7.	Female	5	Manka Dai Ward
		7	Thakur Dev Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–83/2014/18 (13) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत जैजेपुर, जिला– जांजगीर–चांपा के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	1	संत गुरू घासीदास वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	15	मिनीमाता वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	–	निरंक
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	3	स्वामी विवेकानंद वार्ड
		8	अशफाक उल्लाह वार्ड
		9	चंद्रशेखर आजाद वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	4	राम मंदिर वार्ड
7.	महिला वर्ग	2	महात्मा गांधी वार्ड
		7	महाराणा प्रताप वार्ड
		14	संत कबीरदास वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–83/2014/18 (13) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (5) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–83/2014/18 (13) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F 1-83/2014/18 (13) the list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Jaijepur, Distt. Janjgeer-Champa** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	1	Sant Guru Ghasidas Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	15	Minimata Ward
3.	Scheduled Tribes	-	Nil
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	3	Swami Vivekanand Ward
		8	Ashfaq Ullah Ward
		9	Chandrashekhar Azad Ward
6.	Other Backward Class (Female)	4	Ram Mandir Ward
7.	Female	2	Mahatma Gandhi Ward
		7	Maharana Pratap Ward
		14	Sant Kabirdas Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–83/2014/18 (14)छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत चन्द्रपुर, जिला– जांजगीर–चांपा के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	14	बाबा साहेब अम्बेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	4	नंदसागर वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	9	मांझीपारा वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	6	तुलसीमानस वार्ड
		8	अटल वार्ड
		11	मां चन्द्रहासिनी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	2	शशिभूषण सिंह वार्ड
7.	महिला वर्ग	5	बजरंगवली वार्ड
		7	मां परमेश्वरी वार्ड
		12	आजाद वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–83/2014/18 (14) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (5) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–83/2014/18 (14) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F 1–83/2014/18 (14) the list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Chandrapur, Distt. Janjgeer-Champa** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	14	Baba Saheb Ambedkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	-	Nil
3.	Scheduled Tribes	4	Nandsagar Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	9	Manjhipara Ward
5.	Other Backward Class	6	Tulsimanas Ward
		8	Atal Ward
		11	Maa Chandrahasini Ward
6.	Other Backward Class (Female)	2	Shashibhushan Singh Ward
7.	Female	5	Bajrangbali Ward
		7	Maa Parmeshwari Ward
		12	Azad Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–83/2014/18 (15) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत डभरा, जिला– जांजगीर–चांपा के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	7	अम्बेडकर वार्ड
		11	संत गुरू घासीदास वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	14	श्री चक्रधारी मंदिर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	5	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	13	जय बुढ़ादेव वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	6	पं. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड
		8	वट सावित्री चौक वार्ड
		9	बजरंगबली वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	4	पं. दीनदयाल आवास वार्ड
7.	महिला वर्ग	1	दशहरा मैदान वार्ड
		15	केनाभाठा वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–83/2014/18 (15) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (5) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–83/2014/18 (15) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F 1–83/2014/18 (15) the list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Dabhara, Distt. Janjgeer-Champa** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	7	Ambedkar Ward
		11	Sant Guru Ghasidas Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	14	Shri Chakradhari Mandir Ward
3.	Scheduled Tribes	5	Chandrashekhar Azad Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	13	Jai Budhadev Ward
5.	Other Backward Class	6	Pt. Shayamaprasad Mukherjee Ward
		8	Vat Savitri Chowk Ward
		9	Bajrangbali Ward
6.	Other Backward Class (Female)	4	Pt. Dindayal Awas Ward
7.	Female	1	Dashahara Maidan Ward
		15	Kenabhata Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.